



2026:CGHC:8581

1 / 7

(Cr. A. No.219 of 2026)



2026:CGHC:8581

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक-219/2026

1. राहुल सिंह पिता-प्रकाश सिंह गौतम, उम्र-लगभग 37 वर्ष, निवासी-ग्राम घुरू-अमेरी, पुलिस थाना-सकरी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
2. ऋतुराज बंसल पिता-स्वर्गीय सतीश कुमार बंसल, उम्र-लगभग 42 वर्ष, निवासी-मिशन कम्पाउंड, पुलिस थाना-तखतपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़,

-----अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

- ◆ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सकरी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

-----  
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा : श्री मनीष निगम, अधिवक्ता एवं श्री हेमंत केशरवानी  
अधिवक्ता ।

आपत्तिकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा : श्री अजय कुमार बारिक, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी द्वारा : श्री सुमित सिंह, उप महाधिवक्ता ।  
-----

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

17/02/2026



1. धारा 14(क)(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे संक्षेप में "विशेष अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में, विचारण न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (विशेष अधिनियम), बिलासपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पुलिस थाना-सकरी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक-241/2018 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(च)(द) के अपराध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन के निरस्ती आदेश दिनांक-11/11/2025 को चुनौती दी गई है।
2. (i) अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है कि **पिपरहा बंजारे**, जो अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य रहा उसकी ग्राम घुरु में लगभग 1.86 एकड़ कृषि भूमि थी। **मुख्य अभियुक्त राहुल सिंह गौतम** (अपीलार्थी क्रमांक-1) ने सुनियोजित ढंग से पिपरहा बंजारे को उसकी भूमि अधिक मूल्य पर विक्रय कराने का प्रलोभन दिया तथा इस आशय से उसके भूमि संबंधी दस्तावेज, मतदाता परिचय-पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटोग्राफ आदि प्राप्त कर लिए। उक्त दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को पिपरहा बंजारे के रूप में प्रस्तुत कर दिनांक 06.04.2017 को अपने पक्ष में मुख्तयारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) प्राप्त कर लिया। उक्त कथित फर्जी मुख्तयारनामा के साक्षी सह अभियुक्त राकेश चतुर्वेदी तथा सह-अभियुक्त **ऋतुराज बंसल** थे। इसके पश्चात मुख्य अभियुक्त राहुल सिंह गौतम ने उक्त मुख्तयारनामा के आधार पर पिपरहा बंजारे की भूमि को तीन भागों में विभाजित कर पृथक-पृथक पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से विक्रय कर धनराशि प्राप्त की।



(ii) प्रथम विक्रय विलेख दिनांक 06.04.2017 को सह-अभियुक्त शशि कुमार सोनी (अग्रिम जमानत पर), ऋषी राजे रजक के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसके साक्षी सह-अभियुक्तगण सुधांशु राजकुमार (फरार) एवं बिसुन कुमार यादव (नियमित जमानत पर) थे ।

(iii) द्वितीय विक्रय विलेख दिनांक 20.04.2017 को सह-अभियुक्त शुभम मजूमदार (अग्रिम जमानत पर) के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसके साक्षी सह-अभियुक्तगण अनिमेष शुक्ला (अग्रिम जमानत पर) एवं ईशान त्रिपाठी (अग्रिम जमानत पर) थे ।

(iv) तृतीय विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2017 को सह-अभियुक्त शशि कुमार सोनी (अग्रिम जमानत पर) एवं ऋषी राजे रजक (अग्रिम जमानत के अभियुक्त/अपीलार्थी) के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसके साक्षी राकेश चतुर्वेदी (नियमित जमानत के अभियुक्त/अपीलार्थी) एवं मुकेश साहू (नियमित जमानत पर) थे ।

(v) पश्चात में जब पिपरहा बंजारे को पटवारी से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसके नाम दर्ज भूमि का विक्रय किया जा रहा है, तब उसने पतासाजी कर न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । न्यायालय के निर्देशानुसार थाना सकरी में दिनांक 14.08.2018 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

3. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण दिनांक 14.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं । कथित घटना वर्ष 2017 की है, जबकि अपराध का पंजीयन वर्ष 2018 में किया गया । साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा



CRMP No 1952/2018, 1770/2018, 1776/2018, 1884/2018, 2006/2018 एवं 1881/2018 में पारित आदेशों के फलस्वरूप दीर्घ अवधि तक विवेचना स्थगित रही। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, साक्ष्य को प्रभावित करने की आशंका नहीं है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अपीलार्थीगण की कथित अपराध में कोई प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय संलिप्तता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश उचित नहीं है। अतः प्रश्नाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की जाए तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाए।

4. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी **ऋतुराज बंसल** की अपील का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि अपीलार्थी का मामला सह-अभियुक्त राकेश चतुर्वेदी के समरूप है, क्योंकि दोनों ही उस कथित मुख्तारनामा के साक्षी रहे हैं, जिसके आधार पर मुख्य अभियुक्त/अपीलार्थी राहुल सिंह गौतम द्वारा पीड़ित पिपरहा बंजारे (मृतक) की भूमि को छलपूर्वक विक्रय कर दिया गया। अपीलार्थी ऋतुराज बंसल के विरुद्ध दो पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अतः अपीलार्थी की सक्रिय भूमिका रही है। जिसके कारण अपीलार्थी/अभियुक्त ऋतुराज बंसल को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः जमानत संबंधी प्रस्तुत अपील खारिज की जाए।
5. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी/अभियुक्त **राहुल सिंह गौतम** की अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह इस सुनियोजित तथा गंभीर अपराध का मुख्य अभियुक्त है। उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पिपरहा के रूप में प्रस्तुत कर अपने पक्ष



में कथित फर्जी मुख्तयारनामा निष्पादित कराया गया तथा उसके पश्चात पिपरहा की भूमि को तीन भागों में विभाजित कर विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में भिन्न-भिन्न तिथियों पर विक्रय कर दिया गया। उक्त विक्रय के फलस्वरूप अपीलार्थी ने लगभग ₹46,00,000/- (छियालिस लाख रुपये) की राशि प्राप्त की। मूल भूमि स्वामी पिपरहा, जो अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य था और जिसे अपीलार्थी पूर्व से जानता था उसके साथ छल किया। अपीलार्थी संपूर्ण अपराध का मुख्य सूत्रधार है तथा उसका मामला जमानत योग्य नहीं है। अपीलार्थी के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त राहुल सिंह गौतम को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः जमानत संबंधी प्रस्तुत अपील खारिज की जाए।

6. आपत्तिकर्ता/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क किया कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य की भूमि को सुनियोजित षड्यंत्र एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से छलपूर्वक विक्रय किया गया। मुख्य अभियुक्त राहुल सिंह गौतम संपूर्ण घटना का सूत्रधार है तथा उसके विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं। अपीलार्थीगण की सक्रिय भूमिका रही है। अपराध की गंभीरता एवं साक्ष्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं है, इसलिए अपील निरस्त की जाएँ।
7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया तथा अभिलेख एवं केस डायरी का परिशीलन किया गया।
8. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त **ऋतुराज बंसल** को कथित मुख्तयारनामा का साक्षी बताया गया है। वह दिनांक 14.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है।



अपीलार्थी/अभियुक्त ऋतुराज बंसल का मामला सह-अभियुक्त राकेश चतुर्वेदी के समरूप है, जिसका नियमित जमानत आवेदन आज स्वीकार किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों एवं समानता के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय पाती है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ऋतुराज बंसल को भी नियमित जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

9. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त **ऋतुराज बंसल** द्वारा प्रस्तुत अपील **स्वीकार** की जाती है। उसके बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है।
10. अपीलार्थी/अभियुक्त ऋतुराज बंसल का जमानत आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि वह दण्डिक प्रकरण के निराकरण तक संबंधित न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति हेतु ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का मुचलका एवं उतनी ही राशि का सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करें तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
11. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त **राहुल सिंह गौतम** के विरुद्ध अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य प्रथमदृष्टया यह दर्शाते हैं कि वह इस गंभीर अपराध का मुख्य अभियुक्त है। उसके द्वारा सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अपनी कीमती संपत्ति से वंचित हुआ है तथा अन्य कई व्यक्तियों को अनावश्यक मुकदमेंबाजी की समस्या में उलझना पड़ा है। उसके विरुद्ध 06 पूर्व आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध है, जिससे उसका आचरण आदतन अपराधी के रूप में परिलक्षित होता है। उसका मामला जमानत पर रिहा किए गए अन्य सह-अभियुक्तगण से भिन्न है। उपरोक्त समस्त संकलित तथ्य एवं उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय पाती है कि अपीलार्थी/अभियुक्त **राहुल सिंह गौतम** का



2026:CGHC:8581

7 / 7

(Cr. A. No.219 of 2026)

मामला जमानत प्रदान किए जाने योग्य नहीं है । इसलिए विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी जाती ।

12. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त **राहुल सिंह गौतम** द्वारा प्रस्तुत अपील **खारिज** किया जाता है ।
13. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए ।

सही/ -

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन